Toppersnotes
Unleash the topper in you

REET

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा

Board of Secondary Education, Rajasthan

Level – II

(विज्ञान वर्ग)

भाग – 1

हिन्दी

SIERRA INNOVATIONS

REET LEVEL – 2 (विज्ञान वर्ग)

CONTENTS

हिन्दी

1.	वर्ण विचार	1
2.	वर्ण विश्लेषण	4
3.	शब्दकोश (शब्द क्रम निर्धारण)	7
4.	हिन्दी भाषा में शब्दों का मानकीकरण	10
5.	तत्सम – तद्भव	13
6.	देशज शब्द	15
7.	उपसर्ग	17
8.	प्रत्यय	20
9.	संधि	24
10.	समास	41
11.	संज्ञा	50
12.	सर्वनाम	55
13.	विशेषण	57
14.	क्रिया	58
15.	अव्यय/अविकारी शब्द	60
16.	पर्यायवाची	64
17.	विलोम शब्द	67
18.	वाक्य के लिए एक शब्द	75
19.	शब्द युग्म	81
20.	एकार्थी शब्द	92
21.	वर्तनी शुद्धि	99
22.	वाक्य भेद	103
23.	पद बंध	105

24.	पद परिचय	108
25.	वचन	111
26.	लिंग	114
27.	काल	119
28.	विराम चिह्न और उनके प्रयोग	122
29.	कारक एवं विभक्ति	126
30.	काव्य में भाव सौन्दर्य, विचार सौन्दर्य, शिल्प सौन्दर्य, नाद सौन्दर्य, जीवन दृष्टि की पहचान	132
31.	राजस्थानी शब्दों के हिन्दी रूप	136
32.	राजस्थानी मुहावरे व लोकोक्तियाँ	145
33.	मुहावरे	155
34.	लोकोक्ति	165

हिन्दी भाषा शिक्षण

1.	हिन्दी शिक्षण	179
2.	हिन्दी शिक्षण विधि	184
3.	भाषा शिक्षण के उपागम	209
4.	भाषा दक्षता का विकास	212
5.	भाषा कौशल	215
6.	भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ	223
7.	शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, अन्य संसाधन	225
8.	भाषा शिक्षण में आंकलन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण	231
9.	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन	239
10.	निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण	242

लेवल ।। के हिन्दी भाषा-1 के प्रतियोगियों के लिए

भाषा-।

- वर्ण विचार
- स्त्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग- तत्सम/ तद्भव/देशज/विदेशी शब्द
- पर्यायवाची शब्द
- विलोम/विपरीतार्थक शब्द/प्रतिलोम
- एकार्थी शब्द
- उपसर्ग
- प्रत्यय
- संधि
- समास
- संज्ञा
- सर्वनाम
- विशेषण व विशेष्य
- अव्यय
- वाक्यांश के लिए एक शब्द
- लिंग, वचन एवं काल
- वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्यों के प्रकार तथा पदबन्ध
- विराम चिह्न
- शब्द शुद्धि
- राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- भाषा शिक्षण की विधियाँ
- भाषा शिक्षण के उपागम
- भाषायी दक्षता का विकास
- भाषायी कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना) का विकास तथा हिन्दी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ
- शिक्षण अधिगम सामग्री - पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन
- भाषा शिक्षण में मूल्यांकन
- उपलब्धि परीक्षण का निर्माण
- समग्र एवं सतत् मूल्यांकन
- उपचारात्मक शिक्षण
- अपठित गद्यांश: शब्द ज्ञान- तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि।
- अपठित गद्यांशः रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल व लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप

लेवल ।। के हिन्दी भाषा-2 के प्रतियोगियों के लिए

भाषा-।।

- वर्ण विचार एवं शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना
- स्त्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग- तत्सम/ तद्भव/देशज/विदेशी शब्द
- उपसर्ग
- प्रत्यय
- संधि
- समास
- संज्ञा
- सर्वनाम
- विशेषण
- अव्यय व क्रिया विशेषण
- लिंग, वचन एवं काल
- वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्यों के भेद व पदबन्ध
- विराम चिह्न
- युग्म शब्द
- कारक चिह्न
- क्रिया
- वर्ण विश्लेषण
- शब्दों के मानक रूप
- राजस्थानी मुहावरों का अर्थ एवं प्रयोग
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- भाषा शिक्षण की विधियाँ
- भाषा शिक्षण के उपागम
- भाषायी दक्षता का विकास
- भाषायी कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना) का विकास तथा हिन्दी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ
- शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन
- भाषा शिक्षण में मूल्यांकन (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना)
- उपलब्धि परीक्षण का निर्माण
- समग्र एवं सतत् मूल्यांकन
- उपचारात्मक शिक्षण
- अपठित गद्यांशः वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान- तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानकरूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन एवं काल
- अपठित पद्यांशः भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि

हिन्दी

सर्वनाम

परिभाषा – भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम कहलाता है।

- सर्वनाम शब्द सर्व + नाम के योग से बना है जिसका अर्थ है – सब का नाम।
- सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सहजता आ जाती है।
  जैसे – अमर आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह अजमेर गया है।
- संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।

सर्वनाम के भेद – सर्वनाम के कुल 06 भेद हैं

1. पुरुषवाचक
2. निश्चय वाचक
3. अनिश्चय वाचक
4. संबंध वाचक
5. प्रश्न वाचक
6. निजवाचक

1. **पुरुषवाचक सर्वनाम –** वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता, अन्य तीसरा (कहनें वाला, सुनने वाला, अन्य) जिसके लिए कहा जाए, के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।

   पुरुषवाचक सर्वनाम को भी तीन भागों में बाँटा गया है

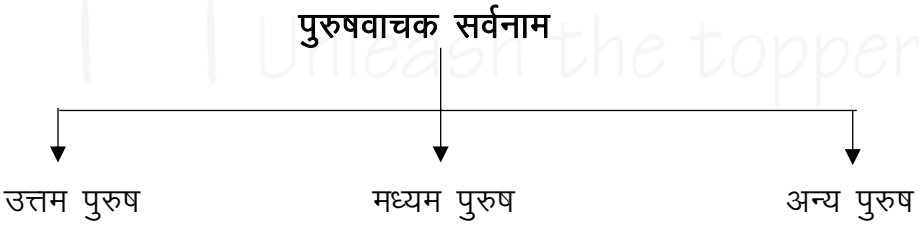

   (i) **उत्तम पुरुष –** बोलने वाला / लिखने वाला
   जैसे – मैं, हम, हम सब।

   (ii) **मध्यम पुरुष –** श्रोता/सुनने वाला
   जैसे – तू , तुम, आप, आप सब।

   (iii) **अन्य पुरुष –** बोलने वाला व सुनने वाला जिस व्यक्ति या तीसरे के बारें में बात करें वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
   जैसे – यह, वह, ये, वे, आप।

2. **निश्चय वाचक सर्वनाम –** वे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर स्थित व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चितता का बोध कराते हैं। वे निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
   पास की वस्तु के लिए – यह
   दूर की वस्तु के लिए – वह

3. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम –** वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारें में निश्चतता का बोध नहीं होता हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
   जैसे – कोई
   - सजीवता के लिए – 'कोई' का प्रयोग
     निर्जीवता के लिए – 'कुछ' का प्रयोग
   - रमन को कोई बुला रहा है।
   - दूध मे कुछ गिरा है।

4. **संबंधवाचक सर्वनाम –** दो उपवाक्यों के बीच आकर सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
   जैसे – जिसकी लाठी उसकी भैंस।
   जो मेहनत करेगा वो सफल होगा।

5. **प्रश्नवाचक सर्वनाम** – जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
   जैसे – वहाँ गलियारे से होकर कौन जा रहा था ?
   कल तुम्हारे पास किसका पत्र आया था ?

6. **निजवाचक सर्वनाम –** ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
   जैसे – आप, स्वयं, खुद।
   जैसे – मैं अपने आप चला जाऊँगा।

   सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग विभिन्न सर्वनामों में किया जाता है जिसका सही प्रयोग निम्न तरीकों से जाना जा सकता है।
   (i) अगर 'आप' शब्द का प्रयोग 'तुम' शब्द के रूप में किया जाता है तो – मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा।
   (ii) 'आप' शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में होने पर – निजवाचक सर्वनाम होगा।
   (iii) आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति में परिचय करवाने के लिए प्रयुक्त हो तो वाक्य में अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा।

कारक एवं विभक्ति

कारक

- संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो सकता है, उसी रूप को कारक कहते हैं।
- हिन्दी में कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं।
- कारकों का विभक्ति सहित परिचय निम्न है–

कारक	विभक्ति चिह्न	वाक्य प्रयोग
1. कर्ता	ने	राजू ने पत्र लिखा। राजू पत्र लिखता है।
2. कर्म	को	राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने रावण को मारा।
3. करण	से, के द्वारा	श्याम ने कलम से पत्र लिखा। श्याम के द्वारा कलम से पत्र लिखा गया।
4. संप्रदान	को, के लिए	राज को पुस्तक दे दो। सरला के लिए सामान मँगाओं।
5. अपादान	से (पृथकता)	पेड़ से पत्ता गिरा। घोड़े पर से राज गिरा।
6. संबंध	का, के, की, रा, रे, री	यह पुस्तक राम की है। मेरी पुस्तक है। मेरे पिताजी है।
7. अधिकरण	में, पर	छत पर मत जाओ। नदी में तैरो।
8. संबोधन	हे! अरे! ओ	हे राम! हम पर कृपा करो। ओ मूर्ख! ठहर जाओ।

1. कर्ता कारक

कर्ता का अर्थ करने वाला होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं।

उदाहरण – बच्चे खेलते हैं।
राज जयपुर जाता हैं।
मानसी नृत्य करती है।
पूजा ने चित्र देखे।

नोट –

- कर्ता कारक प्रायः कभी–कभी विभक्ति रहित होते हैं व कभी विभक्ति सहित होते हैं। जब कर्ता विभक्ति रहित हो तब 'कौन' लगाकर प्रश्न करें – जो पद उत्तर में होगा वो ही कर्ता होगा।
  जैसे – छात्र पुस्तक पढ़ते हैं – कौन पढ़ते हैं – छात्र।

- कभी–कभी कर्ता के साथ 'ने' चिह्न ना आकार कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य चिह्न भी आते हैं।
  जैसे –'को'
  राज को कल क्रिकेट खेलना हैं।
- कभी–कभी कर्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' इत्यादि करण कारक के विभक्ति चिह्न जुड़ें होने पर भी कर्मवाच्य व भाववाच्य पदों में कर्ता कारक माना जाएगा।
  (i) दादाजी से चला नहीं जाता है। (भाववाच्य)
  (ii) राम के द्वारा लिखा जाता है।
- कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नकारात्मक वाक्यों के साथ 'से' का प्रयोग होता है व सकारात्मक वाक्यों के साथ 'के द्वारा' का प्रयोग होता है।
  जैसे – राज के द्वारा क्रिकेट खेला गया।
  विमला से पुस्तक नहीं पढ़ी गई।

2. कर्म कारक

कर्ता जहाँ पर सर्वाधिक जोर देता है या सर्वाधिक चाहता है, उसे कर्मकारक कहते हैं अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं।

उदाहरण –

(i) राम ने रावण को मारा।
(ii) राधा पुस्तक पढ़ती है।
(iii) भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रौंद डाला।

नोट –

- कर्मकारक भी विभक्ति सहित व रहित दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है।
- कर्म जब 'प्राणीवाचक' हो तब 'को' जुड़ेगा व कर्म 'अप्राणीवाचक' हुआ तो 'को' का प्रयोग नहीं होता हैं।
  जैसे – राज अतुल को पढ़ाता है।
  मोर नाच दिखाता है।
- दोनों ओर, चारों ओर, की ओर जहाँ होते है वहाँ पर कर्म कारक होता हैं।
  जैसे – विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं।
  मैदान के चारों ओर बच्चे दौड़ रहे थे।
  राधा मन्दिर की ओर जा रही थी।
- निकट, पास, दूर, वार, तिथि व समय प्रकट करने वाले शब्दों में कर्मकारक होता हैं।
  जैसे – विद्यालय के पास मन्दिर है।
  तुम मंगलवार को आगरा चले जाना।

3. करण कारक

वाक्य में जिस साधन के माध्यम से क्रिया का व्यापार सम्पादन हो उसे कर्म कारक कहते हैं।

उदाहरण –

- मैं आपको आँखों देखी घटना बता रहा हूँ।
- छात्रों को पत्र से परीक्षा की सूचना मिली।
- आज भी संसार में लाखों पशु अकाल से मर रहे हैं।
- कानों सुनी बात हमेशा सत्य होती है।

विशेष

(i) जहाँ पर समानता का भाव प्रकट हो वहाँ करण कारक होता है।
उदाहरण – राज के समान अतुल भी मूर्ख है।

(ii) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो वहाँ करण कारक होता है।
उदाहरण –
वह काले कोट से वकील लगता है।
वह कमण्डलु से साधु प्रतीत होता है।

(iii) जिसके साथ में हो, उस शब्द में करण कारक होता है।
उदाहरण –
राज के साथ श्याम विद्यालय गया था।
सीता राम के साथ वन गई।

4. सम्प्रदान कारक

जिस प्राणी या वस्तु के हित के लिए क्रिया व्यापार का सम्पादन किया जाता है उसे सम्प्रदान कारक कहा जाता है।
उदाहरण –

- क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी ने गरीब लोगों के लिए अनाज और कपड़ें बँटवाए।
- राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए।
- राम के हित लक्ष्मण भी वन गए थे।

विशेष

- जहाँ पर वस्तु पूर्ण रूप से दे दी गई हो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है बल्कि वस्तु को पुनः लेने का भाव हो वहाँ पर कर्म कारक होता है।
  जैसे – अनिल ने धोबी को वस्त्र दिए।
- जहाँ पर कोई रूची का भाव प्रकट हो वहाँ पर सम्प्रदान कारक होता है।
  जैसे – राम को खीर अच्छी लगती है।
- जहाँ अभिवादन, कल्याण, कामना, कहना या निवेदन करने के योग में सम्प्रदान कारक होता है।
  जैसे – छात्रों का कल्याण हो।
  राम अपने पिताजी से निवेदन कर रहा था।
  बड़ों को नमस्कार।

5. अपादान कारक

अपादान अलग होने का भाव प्रकट करता है अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं।
उदाहरण –

- राज घोड़े से गिर गया।
- गंगा हिमालय से निकलती है।
- किसान फसल से पशुओं को हटाता है।

विशेष

प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय, तुलना, सीखने के अर्थ में भी अपादान कारक होता हैं।
जैसे –

- राज को गंदगी से घृणा है।
- हिरण शेर से बहुत डरता है।
- राजू अपने पिताजी से बहुत लजाता है।
- छात्र अध्यापक से शिक्षा लेते हैं।
- सरोज गाड़ी से जयपुर गयी। (करण)
- सरोज गाड़ी से गिर गयी। (अपादान)
- वह विद्यालय से आया। (अपादान)
- वह जीप से आया। (करण)

6. संबंध कारक

वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते है।
उदाहरण –

- राजकुमार मदन का पुत्र है।
- यह राधा की पुस्तक है।
- लड़कें के कपड़े कहाँ पर हैं ?

विशेष

- संबंध कारक के परसर्ग में, रा, रे, री, का, के, ना, ने, अवस्था, निश्चय, लक्षण, शीघ्रता, लोकोक्तियों में समय, मूल्य, परिणाम आदि में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता हैं।

उदाहरण –

- दस रुपये की थाली।
- राजा का रंक।
- आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होता हैं।
- सब के सब चले गये रह गये बस आप।
- राई का पहाड़।
- मेरी पुस्तक कहाँ है ?
- मोहन के कपड़े कहाँ हैं ?
- यह कृष्ण का घर है।

7. अधिकरण कारक

क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है अर्थात् वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय या शर्त का कार्य करने वाला संज्ञा पद अधिकरण कारक कहलाता हैं।

अधिकरण कारक की विभक्तियाँ

के ऊपर, के में, पर, अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि।
उदाहरण –

- मोर छत पर नाच रहा है।
- राम पेड़ पर बैठा है।
- माऊण्ट आबू पर चढ़ना आसान नहीं है।
- वह द्वार – द्वार भीख माँगता फिरता है।
- माता पुत्री से स्नेह करती है।

विशेष

जहाँ किसी को बहुतों में अच्छा या बुरा बतलाया जाए या जिससे तुलना की जाए, समयावधि सूचित करने में अधिकरण कारक होता हैं।

उदाहरण –

- छात्रों में मुकेश समझदार है।
- अशोक ने पाँच दिनों में सारा काम कर लिया।
- आज अशोक तुम्हारे घर सोना बरसेगा।

8. सम्बोधन कारक

- जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा सम्बोधित करने का बोध हो सम्बोधन कारक कहलाता है।
- सम्बोधन प्रायः कर्ता का ही होता है –
  हे भगवान! अब क्या होगा।
  बच्चो! घर जाओ।
  अरे राज! तु वहाँ क्या कर रहा है।
  ओ अतुल! जरा इधर तो आना।

विशेष

- सर्वनाम शब्दों में कभी सम्बोधन नहीं होता है। कई बार नाम पर जोर देकर सम्बोधन का काम चला लिया जाता है।
  जैसे – अशोक जल्दी चलो।
- कभी–कभी सम्बोधन शब्द संज्ञा के साथ नहीं आते हैं जबकि अकेले ही प्रयुक्त होते हैं।
  जैसे – अरे, इधर आओ।
- संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी–कभी अव्यय शब्दों का भी प्रयोग होता हैं।
- सम्बोधन कारक के चिह्न सम्बोधन संज्ञा से पूर्व आते हैं–
  संबोधित ईकारान्त, ऊकारान्त संज्ञा, संबोधन के समय ह्रस्व हो जाती हैं।
  हे पृथ्वी! हे नदी! अभि सुंदरी!
  हे स्वामी! हे दामिनी! हे वधू!
  हे सीते! इत्यादि

विभक्ति

- वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम को कर्ता, कर्म, करण आदि में विभक्त करने वाले शब्द चिह्न जो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए कारकों के साथ लगते हैं विभक्ति कहलाती हैं।
- विभक्ति दो प्रकार की होती है–
  1. संश्लिष्ट विभक्ति
  2. विश्लिष्ट विभक्ति

संश्लिष्ट विभक्ति

जो विभक्तियाँ सर्वनाम शब्दों के साथ उनकी शिरोरेखा से मिलाकर लिखी जाती है उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे – आपका, आपने, मैंनें, मुझको, उसका, उसमें, इसमें, इसने, उसको आदि।

विश्लिष्ट विभक्ति

ऐसी विभक्तियाँ जो संज्ञा नाम से अलग लिखी जाती हैं उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं–
दीपक ने, महेश को, देवेन्द्र से, प्रमोद के लिए, राधा को कृष्ण से, सेना में, छत पर, मोहन ने।

कारक	विभक्ति	वाक्य प्रयोग
कर्ता	ने	देव ने पत्र लिखा।
कर्म	को	देव पुस्तक पढ़ता है।
करण	से, के द्वारा	राज ने कलम से पत्र लिखा।
संप्रदान	को, के लिए	भिखारी को आटा दे दो।
अपादान	से, (पृथकता)	पेड़ से पत्ता गिरा।
संबंध	का, के, की, रा, रे री	यह घर राम का है।
अधिकरण	में, पर	नदी में तैरो।
संबोधन	हे, अरे, ओ	हे देव! हम पर कृपा करो।

हिन्दी भाषा शिक्षण

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन

- शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों से संबंध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थी की प्रगति के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन कहलाती है।
- शिक्षा की राष्ट्रीय नीति दस्तावेज 1986 में भी इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील होना चाहिए।
- सतत् मूल्यांकन की संकल्पना गुणात्मक है।

सतत् मूल्यांकन के सोपान

1. शिक्षण
2. सम्प्राप्ति परीक्षण
3. निदानात्मक परीक्षण
4. उपचारात्मक शिक्षण
5. पुनः सम्प्राप्ति परीक्षण
6. शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन

- देश में शैक्षणिक वातावरण को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 2005 में ''राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005" जारी की गई जिसके तहत की गई सिफारिशों का ध्येय बालकों पर बस्ते का बोझ कम करवाकर, उनमें खोजी प्रवृत्ति का विकास करना, उन्हें ज्ञान सृजन में दक्ष बनाना, क्रमिक रूप से सृजनात्मकता एवं गुणात्मक दक्षताओं का विकास करना तथा इन सब के साथ मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक सुधार करना रहा है।
- ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप रेखा –2005'' में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया है।
- 9 अक्टूबर 2009 से CBSE ने अपने अधीनस्थ विद्यालयों में CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) (सतत् एवं समग्र मूल्यांकन) को लागू कर दिया।
- **सतत् का अर्थ** – सतत् का तात्पर्य निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षण, अध्यापकों एवं छात्रों के स्वःमूल्यांकन के लिए उन्हें घटनाओं के प्रमाण तथा पुनर्बलन देना हैं।
- **व्यापक का अर्थ** – यह योजना विद्यार्थियों की संवृद्धि और विकास के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास कौशलों और वांछनीय गुणवत्ता वाले और इसके साथ ही शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है।

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणालियों के उद्देश्य

1. विद्यार्थियों में रहने की प्रवृत्ति को रोकना।
2. छात्रों में पाठ्यवस्तु के संबंध में अधिक सूझ व समय के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन को आधार प्रदान कर क्रियान्वित करना एवं पाँच बिन्दु ग्रेडिंग व्यवस्था करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित करना।
4. मूल्यांकन का स्वरूप रचनात्मक एवं विकासात्मक होना चाहिए।

अध्यापक के लिए "CCE" की उपयोगिता

1. छात्र की उपलब्धि में कमियाँ ज्ञात कर उनका सुधार करने में सहायक।
2. विशिष्ट क्षमताओं के अधिगम में आने वाली कठिनाईयों व उनके स्तर की जाँच में सहायक।
3. उपचारात्मक व शैक्षिक योजनाएँ बनाने में उपयोगी।
4. उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि का चयन करने में उपयोगी।
5. शिक्षक की गुणवत्ता को उन्नत करने व शैक्षिक अध्ययन में सहायक, मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ करना।

CCE, RTE की धारा 29 (1) में वर्णित है।
CCE की सर्वप्रथम शुरूआत सन् 2009 में CBSE ने IX कक्षा के लिये की एवं सत्र 2010 में X कक्षा के लिए शुरूआत की गयी।

राजस्थान में 2010-11 – 60 स्कूलों में (40 अलवर + 20 जयपुर) CCE के तहत परीक्षाओं का क्रम –

1. Formative – I – 10% जुलाई (रचनात्मक / निर्माणात्मक)
2. Formative – II – 10% सितम्बर
3. Summative – I – 30% नवम्बर (सारांशात्मक / संकल्पनात्मक / भोगात्मक)
4. Formative – III – 10% दिसम्बर
5. Formative – IV – 10% जनवरी
6. Summative – II – $\frac{30\%}{100\%}$ मार्च

CCE के तहत ग्रेडिंग का क्रम – 9 ग्रेड सिस्टम

1. 91-100 – A_1 /A^+
2. 81-90 – A_2 /A
3. 71-80 – B_1 /B^+
4. 61-70 – B_2 /B
5. 51-60 – C_1 /C^+
6. 41-50 – C_2 /C
7. 33-40 – D
8. 21-32 – E_1 /E^+
9. 00-20 – E_1 /E

1. संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर मूल्यांकन
2. व्यहार संबंधी सामग्री एकत्र करने का साधन–मूल्यांकन
3. पाठान्तर्गत मूल्यांकन बोध प्रश्न पाठोपरान्त मूल्यांकन पुनरावृत्ति प्रश्न

परिभाषाएँ

1. कोठारी आयोग (1964-1966)

- मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है एवं शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।
- भारत के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा है – कोठारी आयोग
- रचनात्मक मूल्यांकन दो माह में एक बार आयोजित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन पाँच माह में एक बार आयोजित किया जाता है।

कक्षा	Formative	Summative
1, 2	60	40
3, 4, 5	50	50
6, 7, 8	40	60

ग्रेड अधिभार	संज्ञानात्मक	सह संज्ञानात्मक
A	5	5
B	4	4
C	3	3
D	2	2
E	1	1

राजस्थान में CCE

प्रथम चरण – 2010-11 अलवर–जयपुर में 60 विद्यालय लागू (1-5 कक्षा)
द्वितीय चरण – 2012-13 - 178 ब्लॉक के 3059 राजकीय प्राथमिक विद्यालय
तृतीय चरण – 2013-14 – 2500 विद्यालयों में लागू
चतुर्थ चरण – संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 में प्राथमिक कक्षाओं में लागू

राजस्थान सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं नवाचारों को लागू करने के उद्देश्य से SIQU (State Initiative Education 2016) सभी विद्यालयों में कक्षा 1-5 तक लागू

- CCE का नाम बदलकर SIQE का नाम कर दिया गया है।
- SIQE (गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल) सन् 2018-19 में परिवर्तन किया। चार योगात्मक आंकलन के स्थान पर तीन योगात्मक आंकलन की शुरूआत की गई।

SA1 = 45%
SA2 = 40%
SA3 = 15%

अंक विस्तार	श्रेणी
91-100	A+
76-90	A
61-75	B
41-60	C
00-40	D

- कक्षा 5 के लिए SA3 का आयोजन नहीं किया जाता है बल्कि इनके स्थान पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
- CBSE विद्यालयों में CCE कक्षा 1-10
  RBSE विद्यालयों में CCE कक्षा 1-8
- राजस्थान में CCE का संचालन RSCERT के द्वारा किया जाता है।
- शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक SA2 व SA3 के समय आयोजित की जाती है।
- राजस्थान में CCE का संचालन समग्र शिक्षा अभियान SMSA कार्यक्रम के तहत होता है। SSA सर्व शिक्षा अभियान + RMSA को जोड़कर समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है।

निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण

निदानात्मक

निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होता है जो रोगी का इलाज करने से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का उपचार करने से पहले यह पता करता है कि रोगी को क्या परेशानी है कितनी है और बीमारी किस प्रकार की है, उसके बाद डॉक्टर उस बीमारी या परेशानी का उपचार करता है। ठीक उस प्रकार इन परीक्षाओं के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सामाजिक अध्ययन में छात्रों की क्या–क्या कठिनाइयाँ हैं वे कहाँ गलतियाँ करते हैं किस प्रकार की गलती करते हैं। इस प्रकार यह जानना/पता करना निदान कहलाता है अतः सामाजिक अध्ययन में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता हैं वे निदानात्मक परीक्षाएँ कहलाती हैं।

निदानात्मक परीक्षण की परिभाषाएँ

गुड – निदान का अर्थ है अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना।

मरसेल – जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, वह निदानात्मक शिक्षण या शैक्षिक निदान कहलाता है।

योकम एवं सिंपसन – निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों/लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है जो परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है।

निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य

सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना।

पिछड़े बालकों की पहचान करना।

सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी विशिष्टताओं और कमजोरियों का पता लगाना।

सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा बाल केन्द्रित बनाना।

मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन लाना।

छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना।

निदानात्मक शिक्षण के चरण

शैक्षिक निदान के मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं।

1. सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौनसे छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं अर्थात् समस्याग्रस्त बालकों की पहचान की जाती हैं।
2. इसके बाद यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटि कहाँ है अर्थात् वह कौनसा क्षेत्र है जहाँ बालक गलती कर रहा है।
3. कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद यह जाना जाता है कि गलती के क्या कारण हैं।

4. कारण पता हो जाने के बाद इस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए जिसका कोई विशेष नियम नहीं है। यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है।
5. उपचार करने के बाद यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर यह विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाये जो बच्चों की समस्याएँ उत्पन्न ही ना हों।

निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता एवं महत्व

1. शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही नहीं अपितु सामान्य बालकों के लिए भी होती है।
2. निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता बालकों की विषयगत या विशेष इकाई कठिनाई स्तर जानने में बढ़ती है।
3. कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषयवस्तु का विश्लेषण करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है।
4. शैक्षिक निदान से इस तथ्य का भी पता लगता है कि छात्र किन–किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सम्पादित नहीं कर पा रहे है।
5. शैक्षिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन/पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु होती है।
6. निदानात्मक परीक्षाओं में निश्चित समय नहीं दिया जाता है और आवश्यकतानुसार यह एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकती हैं।
7. निदानात्मक परीक्षाओं में बालकों को अंक प्रदान नहीं किये जाते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कौन–कौन से प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं अथवा बालक ने हल नहीं किये है।

उपचारात्मक शिक्षण

कमजोर तथा शिक्षण ये पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात् उनकी कमजारी के क्षेत्र के सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करना है।

पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण

उपचारात्मक शिक्षण के अन्तर्गत कक्षा के वर्ग बनाते समय कमजोर बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाये तो अध्यापक उनकी प्रगति में सहायक हो सकता है। कमजोर छात्रों में व्यक्तिगत परामर्श अध्यापन सम्बन्धी वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता हैं।

कमजोर बालकों के अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न कार्य

1. कमजोर बालकों को कक्षा में आगे बिठाना चाहिए।
2. कक्षा में सामाजिक अध्ययन की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप से उन प्रत्ययों, सिद्धान्तों और प्रक्रिया आदि की ओर लगाया जाए जिनमें छात्र गलतियाँ करते हैं।
3. कमजोर छात्रों के लिए मॉडल चार्ट आदि का प्रयोग कर प्रत्ययों को स्पष्ट किया जाए।
4. कक्षा में उदाहरणों का चयन।
5. विषयवस्तु के विस्तार एवं कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए।
6. श्यामपट्ट पर लिखी हुयी सामग्री व्यवस्थित, स्पष्ट एवं उपयोगी होनी चाहिए और श्यामपट्ट कार्य का विकास छात्रों के सक्रिय सहयोग से किया जाए।
7. समस्याओं को हल करने से पहले छात्रों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि क्या ज्ञात करना है और उत्तर कैसे ज्ञात किया जा सकता है।

8. ऐसे छात्रों को हतोत्साहित (निराश) नहीं करना चाहिए।
9. कक्षा में छात्रों को जागरूक रखने के लिए प्रभावी प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण

प्रखर बुद्धि बालकों में पर्याप्त रूप से अपनी योग्यताओं को विकसित करने का अवसर प्राप्त न होने पर वे असामाजिक कार्यों में भाग लेने लगते हैं और उनकी प्रवृति बाल अपराध की ओर मुड़ जाती है अतः प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के सदुपयोग के लिए प्रभावी एवं आकर्षक अध्ययन विधियों का उपयोग आवश्यक हैं जिससे उन्हें उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखा जा सकें।

प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक हैं –

1. प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्यरत रखा जाना चाहिए।
2. इनको सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करके पढ़ाना चाहिए।
3. इन बालकों के मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
4. ऐसे बालकों को कभी–कभी कक्षा में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए। ऐसा करने से उनमें आत्म विश्वास की वृद्धि होती है।
5. अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन सम्बन्धी उपन्यास, पत्र–पत्रिकाएँ आदि को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
6. ऐसे बालकों से अध्यापक को सामाजिक अध्ययन से सम्बन्धी आकर्षक सहायक सामग्री बनवानी चाहिए।
7. प्रतिभाशाली छात्रों के समक्ष कक्षा में कुछ समस्याओं को चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
8. प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने का प्रोत्साहन देना चाहिए।
9. इन बालकों के शिक्षण में निगमन, संश्लेषण, प्रयोगशाला, ह्यूरिस्टिक एवं प्रायोजना विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य

1. छात्रों की मानसिक कठिनाइयों को हल करना।
2. अधिगम के मार्ग की बाधाओं को दूर करना।
3. अच्छे व्यक्तित्व को प्रोत्साहन देना।

टिप्पणी – छात्रों में जो कमी रह गयी उसके समाधान के बाद सतत् अभ्यास होना चाहिए।